



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 198/2017 वाद

शांतिलाल पिता शंकरलाल भील, आयु वयस्क, निवासी पीरखेड़ा, तहसील
निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज0)। - वादी

//बनाम//

1. कवला पिता तुलछा भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलिया गदीया,
तहसील निम्बाहेड़ा।
2. हेमा पिता तुलछा भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलिया गदीया,
तहसील निम्बाहेड़ा।
3. लक्ष्मण पिता छोगा भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलिया गदीया, हा.
मु. फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्रीमती श्यामु पुत्री छोगा भील आयु वयस्क, निवासी पिपलिया
गदीया, हा.मु. फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वाद

अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. सेठीया की उपस्थिति में
अन्तिम सुनवाई के लिए पत्रावली प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि
वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा पिपलिया गदिया
का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- शांतिलाल पिता शंकरलाल भील, निवासी पीरखेड़ा के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
269	0.2100	3.99 पश्चिमी भाग
273	0.4000	10.20 पश्चिमी भाग

.....
कुल किता 2 कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर कुल लगान 14.19 रुपये
.....

2- कंवला, हेमा पिता तुलछा 2/3, लछमन, श्यामु पिता छोगा 1/3 भील,
सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
35	0.0500	--
54	0.0500	--
269	0.0200	0.38 पूर्व दिशा
270	0.1400	2.66

271	0.0400	--
272	0.4700	8.93
273	0.0400	1.02 पूर्व दिशा
298	0.5600	10.64
299	0.4300	8.17

.....
कुल किता 9 कुल रकबा 1.8000 हेक्टेयर कुल लगान 31.80 रुपये
.....

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 21.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा